असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

14 जुलाई, 2023

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 14 जुलाई, 2023 ई0

नवम सत्र — 23 आषाढ़, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़ गए)

(व्यवधान जारी)

हटाइए, बाहर निकालिए । बाहर निकालिए ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह को मार्शल आउट किया गया)

(व्यवधान जारी)

अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न

माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-23 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र संख्या-33, खजौली)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग । (व्यवधान जारी)

आप छेड़-छाड़ न करें । अपनी जगह पर रहिये । अपनी जगह पर खड़े रहिये । आसन ग्रहण कीजिए । आसन ग्रहण कीजिए । सरकारी संपत्ति को बर्बाद करना बिल्कुल कानूनी जुर्म है । माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-24 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र संख्या-221, नवीनगर)

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : जी पूछता हूं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, 11वीं रैंकिंग-रेटिंग अप्रैल, 2023 में देश भर की 51 बिजली आपूर्ति कंपनियों में बिहार की नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 44वां रैंक दिया गया है । यह रैंकिंग गलत एटी एंड सी लॉस (28.90%) की गणना पर आधारित थी । पी0एफ0सी0 के द्वारा इस गलती को मानते हुए इसमें वांछित सुधार कर संशोधित एटी एंड सी लॉस (24.55%) ई-मेल के माध्यम से दिनांक-04.07.2023 को भेजा गया है । पी0एफ0सी0 के स्तर से संशोधित एटी एंड सी लॉस के आधार पर रैंकिंग-रेटिंग में सुधार किया जाना है ।

आर0डी0एस0एस0 योजना में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को वर्ष 2021-22 के लिए एटी एंड सी लॉस का लक्ष्य 25% रखा गया था । वर्ष 2021-22 में रेटिंग एजेंसी द्वारा एटी एण्ड सी लॉस की गणना 28.90% की गई थी । इस गणना में राज्य द्वारा अग्रिम में भुगतान की गई अनुदान को शामिल नहीं है किया गया था । उक्त संबंध में पत्राचार के उपरांत पी0एफ0सी0 द्वारा गणना की विधि में बदलाव करते हुए एटी एण्ड सी लॉस 24.55% किया गया । संशोधित एटी एण्ड सी लॉस के अनुसार रैंकिंग रेटिंग में सुधार किया जाना है ।

बी0ई0आर0सी0 द्वारा स्वीकृत बिजली खरीद इकाई के अतिरिक्त बिजली खरीदने के मद में राज्य सरकार द्वारा एटी एण्ड सी लॉस अनुदान के रूप में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को वर्ष 2021-22 के लिए रूपया 498.96 करोड़ दिया गया है ।

केन्द्र सरकार के द्वारा आर0डी0एस0एस0 योजना के तहत वर्ष 2021-22 में निर्धारित एटी एण्ड सी लॉस के मानक 25% के विरूद्ध नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी का एटी एण्ड सी लॉस 24.55% है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर0डी0एस0एस0 योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित एटी एण्ड सी लॉस के मानक 22% के विरुद्ध नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी का एटी एण्ड सी लॉस 19.12% (औपबंधिक) आया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री विजय कुमार सिन्हा । माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न सं0–25 (श्री विजय कुमार सिन्हा, क्षेत्र संख्या–168, लखीसराय)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–26 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र संख्या–194, आरा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य, श्री राणा रणधीर । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–27 (श्री राणा रणधीर, क्षेत्र संख्या–18, मधुबन)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, श्री प्रेम कुमार । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–28 (श्री प्रेम कुमार, क्षेत्र संख्या–230, गया टाउन)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह । माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–'क'–29 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र संख्या–194, आरा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-1/अंजली/14.07.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के हरित बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत अधिसूचना संख्या-एस॰ओ॰-189, दिनांक-21.09.2022 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत अधिसूचना संख्या-एस॰ओ॰-189, दिनांक-21.09.2022 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-189 के तहत बनाई गई ''बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2023'' की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य भंडार निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, शून्यकाल समिति ।

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-104, दिनांक-01.07.2022, एस०ओ०-105, दिनांक-12.07.2022, एस०ओ०-106, 107, 108, दिनांक-15.07.2022, एस०ओ०-109, दिनांक-12.07.2022, एस०ओ०-110, 111, 112, 113, 114, दिनांक-15.07.2022, एस०ओ०-169, 170, दिनांक-28.07.2022, एस०ओ०-171, 172, 173, 174, 175, दिनांक-29.08.2022, एस०ओ०-176, दिनांक-02.09.2022, एस०ओ०-190, 191, 192, दिनांक-29.09.2022, एस०ओ०-411, दिनांक-07.11.2022, एस०ओ०-487, दिनांक-15.12.2022, एस०ओ०-489, 490, 491, 492, दिनांक-30.12.2022, एस०ओ०-91, दिनांक-11.01.2023, एस०ओ०-107, दिनांक-14.02.2023, एस०ओ०-108, 109, 110, 111, दिनांक-28.02.2023, एस०ओ०-126, दिनांक-21.04.2023, एस०ओ०-127, दिनांक-09.05.2023, एस०ओ०-129, 130, 131, 132, 133, 134, दिनांक-17.05.2023 एवं एस०ओ०-220, दिनांक-13.06.2023 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-104, दिनांक-01.07.2022, एस०ओ०-105, दिनांक-12.07.2022, एस०ओ०-106, 107, 108, दिनांक-15.07.2022, एस०ओ०-109, दिनांक-12.07.2022, एस०ओ०-110, 111, 112, 113, 114, दिनांक-15.07.2022, एस०ओ०-169, 170, दिनांक-28.07.2022, एस०ओ०-171, 172, 173, 174, 175, दिनांक-29.08.2022, एस०ओ०-176, दिनांक-02.09.2022, एस०ओ०-190, 191, 192, दिनांक-29.09.2022, एस०ओ०-411, दिनांक-07.11.2022, एस०ओ०-487,

दिनांक–15.12.2022, एस०ओ०–489, 490, 491, 492, दिनांक–30.12.2022, एस०ओ०–91, दिनांक–11.01.2023, एस०ओ०–107, दिनांक–14.02.2023, एस०ओ०–108, 109, 110, 111, दिनांक–28.02.2023, एस०ओ०–126, दिनांक–21.04.2023, एस०ओ०–127, दिनांक–09.05.2023, एस०ओ०–129, 130, 131, 132, 133, 134, दिनांक–17.05.2023 एवं एस०ओ०–220, दिनांक–13.06.2023 की प्रति सदन पटल पर 30 दिनों तक रखी रहेगी ।

याचिकाओं का उपस्थापन

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 133 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री विनय कुमार ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक–1 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री सुर्यकांत पासवान । अपना गैर सरकारी संकल्प पढ़ें ।

क्रमांक–2 : श्री सुर्यकांत पासवान, स0वि0स0

श्री सुर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बखरी प्रखंड के सलौना स्टेशन पर न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12524) के ठहराव हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बखरी प्रखंड के सलौना स्टेशन पर न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट के ठहराव हेतु मुख्य जन संपर्क पदाधिकारी पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सुर्यकांत पासवान : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/14-07-2023

श्री सुर्यकांत पासवानः महोदय..

अध्यक्षः स्थान ग्रहण कीजिये ।

क्रमांक-3 : श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-4 : श्रीमती रेखा देवी, स0वि0स0

अध्यक्षः माननीय सदस्या, श्रीमती रेखा देवी ।

श्रीमती रेखा देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है वह पटना जिलान्तर्गत धनरूआ प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय, रेड़विगहा का विद्यालय भवन निर्माण करावे ।''

अध्यक्षः माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्रशेखर, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय, रेड़विगहा का भवन जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे मध्य विद्यालय, मोहिदीनपुर में सिफ्ट किया गया है । विद्यालय के पास अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है । विद्यालय के क्षतिग्रस्त भवन को तोड़कर नया भवन बनाने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-5: श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-6 : श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-7: श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेयः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के समीप महिला महाविद्यालय स्थापित करावे ।''

श्री चन्द्रशेखर,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रश्न में कहना है कि राज्य सरकार के वर्त्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड हथुआ अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत है, जहां पूर्व से बी0पी0एस0 कॉलेज, भोरे एवं भूपेश्वर कॉलेज, हथुआ अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में

संचालित है, जहां सहशिक्षा के तहत पढ़ाई होती है । अतः गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के समीप महिला महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-8: श्री अजय कुमार सिंह,स0वि0स0

श्री अजय कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान, छतीसगढ़, झारखंड एवं हिमाचलप्रदेश की भांति बिहार राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करावे ।''

महोदय, जिन लोगों ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त ...

अध्यक्षः नहीं नहीं । माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः माननीय मंत्री काउन्सिल में हैं महोदय, मंत्री जी आयेंगे तो इसका जवाब होगा ।

श्री अजय कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय,जो हुकुम होगा करेंगे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अजय कुमार सिंहः जी कर लेंगे हुजूर, एक बात कहकर कर लेता हूँ कि जिनलोगों ने योजना ये बंद कर दी थी वे लोग गायब हैं इसलिए इधर हमलोग चाहते हैं कि यह लागू होना चाहिए, हमको यही कहना है । इसके बाद तो आपका हुकुम वापस लेना है तो लेना है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः काउन्सिल में माननीय मंत्री जी हैं महोदय तो गायब कहां हैं ? मंत्री कहां गायब हैं जो माननीय सदस्य को चिंता हो रही है कि गायब हैं ।

अध्यक्षः इसीलिए मैंने कहा कि आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः अभी काउन्सिल में हैं वहां से आयेंगे तो जवाब मिलेगा ।

अध्यक्षः काउन्सिल में है आ जायेंगे तो आपका जो गैर सरकारी संकल्प है, उसको मैं पढ़वाऊंगा और माननीय मंत्री उस पर जवाब देंगे, तबतक मैं आगे बढ़ रहा हूँ ।

क्रमांक-9 : श्री विश्वनाथ राम, स0वि0स0

श्री विश्वनाथ रामः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के मानीनारा पर गैधरा एवं खरीका के बीच पुल निर्माण करावे ।''

अध्यक्षः माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल का वास्तविक नाम रामपुर नागपुर पी0एम0जी0एस0वाई पथ में मानी ग्राम के नजदीक उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल है, जिसका आकार 2 X 1.45 मीटर है । अभिस्तावित पुल टी0-4 रामपुर मोड़ से नागपुर पी0एम0जी0एस0वाई पथ के आरेखन में है । उक्त पुल का डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए एस0टी0एन0आई0टी0,पटना को भेजा गया है । महोदय,वहां से आते ही इस पर कार्रवाई हमलोग करेंगे इसलिए वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-10: श्री ललित नारायण मंडल, स0वि0स0

श्री ललित नारायण मंडल: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के सुलतानगंज प्रखंड के अजगैबीनाथ पर्वत के पास गंगा को उत्तरवाहिनी रूप प्रदान कराने के लिए मसदी पंचायत से मुरली पर्वत तक सुलतानगंज शहर के उत्तरी भाग के गंगा नदी में खुदाई करावे ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला सुलतानगंज प्रखंड के अजगैबीनाथ मंदिर के पास गंगा नदी उत्तर पूरब दिशा में बह रही है । गंगा नदी अपने फ्लड प्लेन जोन में अपना जल प्रवाह मार्ग स्वयं तय करती है । ऐसी स्थिति में खुदाई कर गंगा जैसी नदी का मार्ग परिवर्त्तित करना व्यवहारिक नहीं है। अत: प्रश्नगत स्थल पर गंगा नदी की खुदाई कराकर उत्तरवाहिनी रूप प्रदान करना तकनीकी रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अध्यक्ष: आग्रह तो कीजिये ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री ललित नारायण मंडल: अध्यक्ष महोदय, हम एक बात कहना चाहते हैं, उसके बाद आपके आदेश को हमलोग मान लेंगे । वह बहुत पौराणिक स्थल है महोदय और वहां आज से दस वर्ष पहले गंगा उत्तरवाहिनी थी । ज्यादा उसमें पैसा नहीं लगेगा इसलिए उसका सर्वेक्षण करवा लिया जाये सर, ज्यादा परेशानी हो तो नहीं कीजियेगा कम परेशानी, हो तो कर दीजियेगा । यह हमारा पर्सनल रिक्येस्ट है ।

अध्यक्ष: आपने कह दिया, अब अपना प्रस्ताव आप वापस ले रहे है ?

श्री ललित कुमार मंडल: सर, आपका आदेश कैसे नहीं मानेंगे ।

श्री अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-11: श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–12: श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–13: श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–14: श्री रामनारायण मंडल, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–15: श्री राज कुमार सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री राज कुमार सिंह ।

श्री राजकुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय में मटिहानी विधान–सभा अन्तर्गत बी0टी0पी0एस0 से लेकर लखमीनिया तक गुप्ता लखमीनिया बांध–01 का चौड़ीकरण कार्य करावे ।''

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगुसराय जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ एन0एच0–31 बी0टी0पी0एस0 लखमीनिया भाया गुप्ता लखमीनिया बांध जिसके पुल की लम्बाई 35.05 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.75 मीटर है, का मजबूतीकरण कार्य अभी की जा रही है और प्रगति पर है महोदय । बांध जो है उसके बनाने की जिम्मेवारी जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में आता है महोदय । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री राज कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये जल संसाधन विभाग मंत्री को ही इंगित किया गया था और माननीय जल संसाधन मंत्री ने इस बांध का पूरा निरीक्षण भी किया है । यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बांध के चौड़ीकरण हो जाने से और इसको वाईपास बना देने से ..

अध्यक्ष: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । माननीय जल संसाधन मंत्री जी आपका जो गैर सरकारी संकल्प है उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं ।

टर्न–3/मधुप/14.07.2023

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय अन्तर्गत बीटीपीएस से लेकर लखमीनिया तक गुप्ता लखमीनिया बॉध गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित है । प्रश्नगत बॉध का शीर्ष 5 मीटर रखते हुए तटबंध का निर्माण

कराया गया है । तटबंध के शीर्ष पर बिटुमीनस सड़क भी निर्मित है । परंतु बाढ़ से सुरक्षा एवं अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए विभागीय पत्रांक-2833 दिनांक-13.07.2023 द्वारा इसकी फिजिबलिटी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, जल निस्सरण, समस्तीपुर को निदेशित किया गया है ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब तो अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, मुझे लगता है कि लगभग मंत्री जी ने इसको स्वीकृत ही कर लिया है । इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-16 : श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-17 : श्री अमर कुमार पासवान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-18 : श्रीमती स्वर्णा सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-19 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अन्तर्गत अंकोरहा (अंकोरहा) स्टेशन के समीप मझिऑव भुजा पथ में रेलवे फाटक पर R.O.B. का निर्माण कराने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, इसका उत्तर अभी थोड़ी देर में देते हैं । उत्तर अभी नहीं आया है ।

अध्यक्ष : ठीक है । कुछ देर बाद माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे ।

क्रमांक-20 : श्री जितेंद्र कुमार, स0वि0स0

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरतार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावाँ प्रखंड के ग्राम-मानपुर के समीप बिहारशरीफ शेखपुरा रेलखंड के उपरी पुल के नीचे वाली पथ पर बने भारी गड्ढे में जल जमाव निकासी एवं पथ का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलान्तर्गत प्रश्नगत बिहारशरीफ शेखपुरा रेलखंड के उपरी पुल के नीचे वाली पथ पर गड्ढे में जल जमाव के निराकरण हेतु उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, राजगीर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, अभी देवघर जाने का मुख्य मार्ग वही है, हजारों गाड़ियाँ और काँवरियाँ लोग उधर से ही जाते हैं और केवल यह मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं है, यह कहिये कि पटना, शेखपुरा, जमुई और देवघर झारखंड जाने वाली मार्ग वही है । इसलिये वहाँ पर जो जल जमाव होता है तो पूरा मार्ग अवरूद्ध हो जाता है । महोदय, धार्मिक स्थान पर लोग जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं, दूसरे प्रदेश से भी लोग आते हैं । इसलिये महोदय, इसको ध्यान में रखते हुये यथाशीघ्र करवाने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री जितेंद्र कुमार : जी, वापस ले रहे हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–21 : श्री अजय यादव, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक–22 : श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक–23 : श्री राकेश कुमार रौशन, स0वि0स0</u>

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के इसलामपुर प्रखंड के हरवंश विगहा गाँव के सामने पैमार नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल शीर्ष राज्य योजना अन्तर्गत चयनित है । पुल का प्राक्कलन स्वीकृति की प्रक्रिया में है । स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ समयसीमा जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : आपको उत्तर से संतुष्ट हो जाना चाहिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : समय सीमा सिर्फ जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : कार्रवाई के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा ।

श्री राकेश कुमार रौशन : मैं सिर्फ समय सीमा जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : आप अपना गैर सरकारी संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री राकेश कुमार रौशन : जी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-24 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-हरपुरवा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हरपुरवा एवं बनभिरवा ग्राम के बीच शिकाऊ नदी में पुल निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल का स्थल एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्माणाधीन पथ मोहम्मद मुस्लिम के घर से एस0एच0 पुपरी सीतामढ़ी तक आरेखन पर अवस्थित है । उक्त स्थल पर 5X5 एम0X3 एम0 आकार के बॉक्स का कल्वर्ट के निर्माण हेतु चेकलिस्ट प्राप्त हो गया है । कोई सड़क बनाने के लिए और पुल-पुलिया के लिए पहले चेकलिस्ट की आवश्यकता होती है, जिसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है । तद्नुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मुकेश कुमार यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ । मंत्री जी को धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-25 : श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य में ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र का दर्जा दे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किये गये समझौता ज्ञापन के अनुसार पाठ्यक्रम का उद्देश्य अप्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदाताओं का कौशल विकास करना है । वस्तुतः

ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र का दर्जा देने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, दर्शक दीर्घा में अभी जो दर्शक काले कपड़ों में बैठे हैं, कहीं बी0जे0पी0 वालों की पिटाई पर शोक तो मनाने नहीं आये हैं ?

अध्यक्ष : आपने ध्यान आकृष्ट करा दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय नरेन्द्र बाबू, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-26 : श्री विनय बिहारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-27 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-28 : श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिला के मानसी प्रखंड अंतर्गत ग्राम-सैदपुर में सरकारी जमीन पर खेल मैदान का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-234 दिनांक-12.04.2023 द्वारा मानसी प्रखंड में स्टेडियम निर्माण हेतु मानक के अनुरूप सरकारी मानक भूखंड उपलब्ध नहीं होने की सूचना दी गई है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, सैदपुर गाँव में सरकारी जमीन काफी मात्रा में उपलब्ध है और जिला प्रशासन चाहे तो वहाँ पर निर्माण हो सकता है । हम सदन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि माननीय मंत्री जी जिला पदाधिकारी को पुनः आग्रह करें कि जमीन खोजकर वहाँ खेल मैदान का निर्माण करावें ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, मंत्री : दूसरा प्रस्ताव जमीन का दे दीजियेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री छत्रपति यादव : जी, प्रस्ताव लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–4/आजाद/14.07.2023

क्रमांक–29 : डॉ रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अंतर्गत बस्तीजलाल पंचायत के उन्नहचक बाजार (एन0एच0–19) से कुरैया पंचायत के विशुनपुर ग्राम के बीच जनहित में माही नदी पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे । ''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल स्थल से एक तरफ अवस्थित बसावट उन्नहचक बाजार में एन0एच0–19 से एवं दूसरे तरफ अवस्थित बसावट विशुनपुरा को केसरपुर से कोरैया पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अपस्ट्रीम में दो कि0मी0 पर डाऊनस्ट्रीम में 2.5 कि0मी0 पर पूर्व से पुल निर्मित है ।

अत: दोहरी सम्पर्कता का मामला होने के कारण पुल का निर्माण विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनके जवाब में ही 2 कि0मी0, 2.5 कि0मी0 जबकि मैं इसका दावा करता हूँ कि यह गलत उत्तर दिया गया है । महोदय, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं । आपके आने–जाने में सिवान के रास्ते पर है एन0एच0 पर नौचक शितलपुर बाजार, मैं कभी आपको आग्रह पूर्वक लेकर चलकर दिखाऊँगा, बरसात के दिनों में वहां बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, मरीज अस्पताल नहीं जा पाते हैं, लोगों का प्रखंड मुख्यालय, स्टेशन, जिला .....

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज प्रसाद जी, यह गैर सरकारी संकल्प है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार वहीं से विधायक हुए थे, वहीं से सांसद हुए थे, कल मैं उनको मिलकर भी कहा, उनके जमाने से यह मांग है.....

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अभी तक इसको किसी ने नहीं करवाया, चारों ओर से यह वंचितों का, दलितों का इलाका है .....

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह वंचितों का इलाका है, किसी ने आज तक नहीं करवाया, मैं आपसे आग्रह करता हूँ अध्यक्ष महोदय कि हमको माननीय मंत्री जी से आश्वासन दिलवाया जाय, कल मैंने सेक्रेटरी जी से भी बात किया, माननीय मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि यह बहुत ही आवश्यक है ....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपने जो गैर सरकारी संकल्प दिया है, उसका जवाब दे दिये हैं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही पुल आवश्यक है, बहुत दिनों से .....

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि .....

अध्यक्ष : अच्छा रहेगा कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : प्रस्ताव तो वापस लेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि एक आश्वासन मिल जाय माननीय मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय, हमलोग तो वापस करते ही रहे हैं सर, आश्वासन दिलवाया जाय, बहुत दिनों से मैं यह मांग कर रहा हूँ,

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अंतर्गत बस्तीजलाल पंचायत के उन्नहचक बाजार (एन0एच0-19) से कुरैया पंचायत के विशुनपुर ग्राम के बीच जनहित में माही नदी पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

रामानुज बाबू, आप पुराने सदस्य हैं । माननीय सदस्य श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद ।

<u>क्रमांक-30 : श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, स0वि0स0</u>

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह पूर्णिया जिला के बायसी अंतर्गत बायसी से सूयगावाँ होते हुए बैरिया जाने वाली पथ में खुटियाघाट पर पुल निर्माण करावे । ''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ मड़वा बसावट अवस्थित है, जिसकी सम्पर्कता शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित फूटरानी चौक से मड़वा तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ

खुटिया बसावट अवस्थित है, जिसकी सम्पर्कता शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित आराबादी से खुटिया तक प्राप्त पथ से प्राप्त है । मड़वा बसावट एवं खुटिया बसावट के बीच एलाईनमेंट पर अवस्थित पुल अवस्थित एलाईनमेंट पुल कच्ची है । जिसमें कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोरनेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । विभाग द्वारा समर्पित राज्य के सभी बसावट को बारहमासी पथ से एकल सम्पर्कता दिया जाना है, अवस्थित पुल पर स्थल के दोनों तरफ के बसावट को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है ।

अतः अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–31 : श्री राणा रणधीर, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–32 : श्री विजय शंकर दूबे, स0वि0स0

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के ग्राम–जगदीशपुर एवं धनछुआ को महाराजगंज नगर पंचायत में शामिल करावे । ''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य बहुत दिनों से परेशान हैं तो हम उनको खुशखबरी ही देना चाहते हैं । लम्बा समय से ये सदन में क्वेश्चन करते आये हैं तो वस्तुस्थिति यह है महोदय कि जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–1939 दिनांक 04.07.2023 द्वारा सिवान जिलान्तर्गत महाराजगंज प्रखंड के ग्राम जगजदीशपुर एवं धनछुआ को नगर पंचायत महाराजगंज में शामिल किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । संदर्भित प्रस्ताव की विधिवत समीक्षा की जा रही है । समीक्षोपरान्त निश्चित रूप से माननीय सदस्य की भावना को मैं समझता हूँ, वह पूरा होगा महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लगता है कि आपका जो आशा और उम्मीद है, उस आशा और उम्मीद को पूरा करने के दिशा में आवश्यक कार्रवाई विभाग और माननीय मंत्री के

द्वारा हो रहा है, इसलिए आप अपना जो गैर सरकारी संकल्प का प्रस्ताव है, इसको वापस लीजिए ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं आसन का प्रोटेक्शन चाहता हूँ और यह मामला महोदय, स्वराज्य हो गया 76 साल और दो गांवों को स्वराज्य का कोई लाभ नहीं मिला है । मैं जब वहां का विधायक हुआ तो इन दोनों गांवों की स्थिति की जानकारी हमें हुई तो इस मामले को मैंने सदन में उठाया, आसन का प्रोटेक्शन मिला और इस अवसर पर मैं राज्य के यशस्वी उप मुख्यमंत्री को भी जो नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री हैं, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रस्ताव को कलक्टर से मांगा और इसकी जॉच करायी, जॉच में हुजूर तीन महीना हो गया और जॉच के रिपोर्ट आने के बाद मंत्री जी ने जवाब दिया, कम्पीटेंट मंत्री हैं, ज्वायंट रिसपौंसबिलिटी है, सरकार की संयुक्त जवाबदेही होती है । विभाग को ये आज दें महोदय, हमलोग भोजपुरी प्रान्त के लोग हैं और उसी बेल्ट से आते हैं, जब थाली पर भूख सहन नहीं होता, अब तो उस क्षेत्र की जनता को ये आशा और विश्वास हो गया सरकार के एक्शन से कि हमको जल्दी से मिलने वाला है स्वराज्य का लाभ और रोड और हमारा स्कूल और सारे काम हमारे होंगे तो इसमें महोदय, मैं इतना ही अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि प्रस्ताव को केबिनेट में जायेगा महोदय, केबिनेट में प्रस्ताव विभाग जल्दी उपस्थापित करे, मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ और ये तीन महीना हुजूर हो गया, पत्रांक-1939 दिनांक 04.07.2023 से यह आ गया है विभाग से .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बड़े ही पुराने अनुभवी सदस्य हैं और जो गैर सरकारी संकल्प का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, आपको उस विभाग को और उस विभाग के प्रभारी मंत्री को धन्यवाद देते हुए अपने इस संकल्प को अब वापस लीजिए ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पूरा भाषण हुआ, मेरे संकल्प को आपने रद्द करा दिया ।

अध्यक्ष : आपने तो कभी वापस लिया ही नहीं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : हम तो कह ही रहे थे, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह नहीं कह रहा था कि वापस नहीं लूँगा, मैं तो यह कह रहा था कि इसकी आवश्यकता को बताते हुए आपसे ही आग्रह कर रहा था, आपका संरक्षण चाह रहे थे .....

अध्यक्ष : आपने तो प्रस्ताव वापस लिया नहीं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय मंत्री जी खड़े हो गये थे जवाब देने के लिए, आपसे मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूँ कि .....

अध्यक्ष : मैंने आपसे तीन बार कहा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, आपने तीन बार कहा, मैं तो यह कह रहा था कि माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा था .....

अध्यक्ष : अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, अब आप बोल दिये न । अच्छा ठीक है, मैं आपको संरक्षण दूँगा, आप बैठिए ।

माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव ।

क्रमांक-33 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-34 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-5/शंभु/14.07.23

क्रमांक-35 : श्री छोटेलाल राय, स0वि0स0

श्री छोटेलाल राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के प्रखंड दरियापुर अन्तर्गत पंचायत प्रतापुर के ग्राम रहिमपुर चौक से फतेहपुर, भगवानपुर जानेवाली पथ पर (माही नदी) में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, हम जान रहे थे कि माननीय सदस्य जिरह करेंगे इसलिए पूरा प्रूफ के साथ आये हैं, पूरा वहां का फोटो कहां से कौन लोग जाते थे सब मंगवा लिये हैं । वस्तुस्थिति यह है कि.....

अध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं कह न दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिलहाल पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री छोटेलाल राय : मुझे उम्मीद है कि ये उसपर विचार करेंगे इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-36 : श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–37 : श्री शम्भुनाथ यादव, स0वि0स0

श्री शम्भुनाथ यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिला के ब्रह्मपुर प्रखंड में भागड़ नदी के गायघाट पर पुल निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल भागड़ नदी के गायघाट पर पुल निर्माण सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है । संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप पुल निर्माण पर विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्री शम्भुनाथ यादव : ठीक है, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–38 : श्री विनोद नारायण झा, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–39 : श्री विजय कुमार मंडल, स0वि0स0

श्री विजय कुमार मंडल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मोहनिया से आरा एन0एच0–30 फोर लेन के मलियाबाग में ट्रामा सेंटर का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एन0एच0–30 पर दुर्घटनाओं को देखते हुए रोहतास जिला अस्पताल परिसर में ही नये ट्रामा सेंटर की स्थापना की गयी है। जहां शीघ्र ही ट्रामा संबंधी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है । वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के राष्ट्रीय उच्च पथों पर स्थित 11 स्थानों पर ट्रामा सेंटर निर्माण की घोषणा की गयी है जिसमें मोहनिया कैमूर भी शामिल है । रोहतास जिला अन्तर्गत मलियाबाग में जमीन का अधिग्रहण करके ट्रामा सेंटर खोलने की योजना अभी फिलहाल नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, आरा से मोहनिया लगभग 110 कि0मी0 है और इस बीच में कोई ट्रामा सेंटर नहीं है । एन0एच0 पर मैं मांग करता हूँ कि वहां बनना चाहिए जो जनहित में है और 110 कि0मी0 के बीच में है तो मैं चाहूंगा सरकार से कि इसको स्वीकृत करे और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-40 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा के लदनियां प्रखंड में नेपाल से आनेवाली नदियों क्रमशः गागन, त्रिशुला, बलान एवं सहजा की पानी से आने वाली बाढ़ को रोकने एवं समाधान हेतु जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार को सिफारिश करे । ''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत बाबूबरही विधान सभा के लदनियां प्रखंड में नेपाल से आनेवाली नदियों क्रमशः गागन, त्रिशुला, बलान नदियों में जलस्राव सामान्यतः काफी कम रहता है, परन्तु बरसात अवधि के दौरान नेपाल जल ग्रहण क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण कुछ निचले भागों में नदी के पानी का फैलाव हो जाता है । जल स्तर में कमी होने के उपरान्त पानी की निकासी स्वतः हो जाती है । वर्णित नदियों से कटाव की क्षति से बचाव हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा सभी अपेक्षित कदम उठाये जाते हैं । वर्तमान में संबंधित मामलों से निपटने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिए माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें । जो हमलोग प्रपोजल भी कुछ भेजे हुए हैं वह तो कुछ करता नहीं है तो नया क्या भेजें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, यदि भारत सरकार कुछ नहीं मदद कर रही है तो मंत्री जी अपने ही बिहार से कुछ कर दीजिए, किसानों के हित में कुछ कदम उठाइये और मंत्री जी हमारे जिला मधुबनी से हैं इसलिए उनसे हम विशेष आग्रह करते हैं कि आप अपने नजरिये से ही उसपर थोड़ा कृपा कर दीजिए और इसके साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-41 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0

श्री अरूण सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला अन्तर्गत प्रखंड विक्रमगंज पंचायत मानी ग्राम लक्ष्मणपुर के विस्थापित महादलित परिवारों को सरकार 5-5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराकर पुनर्वासित करावे ।''

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, समाहर्त्ता रोहतास से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज प्रखंड के मानी पंचायत के ग्राम लक्ष्मणपुर थाना 553, खाता 125, खेसरा 684, रकबा 2.78 एकड़, किस्म आहर, खेसरा 364 रकबा 1.25 एकड़, किस्म आहर एवं खाता 124, खेसरा 439, रकबा 3.12 एकड़ किस्म नहर की भूमि है । इसे माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्लू0जे0सी0-6586/19 राजू सिंह-बनाम- बिहार सरकार एवं अन्य ने दिनांक 03.04.2019 को पारित आदेश एवं अवमानना केस एम0जे0सी0 नं0-947/23 के अनुपालन में जल जीवन हरियाली से आच्छादित आहर एवं नहर की भूमि पर कुल 69 व्यक्तियों के द्वारा किये गये अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है । अधिकांश अतिक्रमणकारियों का अपने निजी रैयती जमीन में पूर्व से आवास बना हुआ है फिर कुल 69 अतिक्रमणकारियों के रैयती भूमि उपलब्धता संबंधी सर्वेक्षण करायी जा रही है । यदि अतिक्रमणकारी सर्वेक्षण के उपरांत वास विहीन के श्रेणी में पाये जायेंगे, सुटेबल कैटेगरी में तो उन्हें वास हेतु सरकारी भूमि की उपलब्धता के निमित सरकार की नीति अन्तर्गत यथोचित कार्रवाई की जायेगी । वर्तमान में अतिक्रमणकारियों के परिवार के द्वारा वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु कोई आवेदन कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कार्रवाई के बारे में इन्होंने बतला दिया अब आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेंगे ही लेकिन उस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता हूँ जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है । मेरा कहना है कि 49-50 आदमी पचासो वर्ष से उस जमीन पर बसे हुए हैं । जिस जमीन के बारे में मंत्री महोदय कह रहे हैं उस जमीन पर सरकार का कोई भी प्लानिंग नहीं है । अगर प्लानिंग रहता रोड बनना होता, सड़कें बननी होती, आहर की सफाई का काम होता तो कुछ नहीं होना है । यह केवल एक भूस्वामी के आदेश पर जो कोर्ट डिसिजन दे रहा है, तोड़ रहा है बरसात के दिनों में मैं समझता हूँ कि इसपर भी मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए । इसके साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-6/पुलकित/14.07.2023

क्रमांक-42 : श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत नईमा पंचायत के सड़क विहीन गांव दौलतपुर को फल्गू नदी के तटबंध पर सड़क निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत नईमा पंचायत के दौलतपुर ग्राम फल्गू नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है । आमजनों के आवागमन हेतु सड़क का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है । यदि संबंधित विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध किया जाता है, नियमानुकूल एन0ओ0सी0 निर्गत करने पर विचार किया जा सकता है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री का जवाब जो आपके संकल्प पर था उसको आपने सुना है, अब प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, थोड़ा सा विषय के महत्व को बता देते हैं । प्रस्ताव तो वापस लेंगे ही । अध्यक्ष महोदय, यह गांव जहानाबाद के चार बार सांसद रहे स्वर्गीय रामाश्रय बाबू का गांव हैं और उस गांव में अभी तक सड़क नहीं है । एक तो मैं यह बात कह रहा हूँ कि अगर मसौढ़ी, तेहड़ा पथ से पिरौघा होते हुए जो सड़क है वह निर्माण हो जाए । एक तो गांव को सड़क मिल जायेगी और ऐसे सिंचाई विभाग में इसको दे दिया गया है । मैंने तो किसी विभाग का नाम नहीं लिखा था । महोदय, दूसरा नईमा पंचायत के आधे गांवों को अपने प्रखंड मुख्यालय मोदनगंज या जिला मुख्यालय जहानाबाद नालंदा जिला के गांवों से होकर जाना पड़ता है । इसलिए मेरा प्रस्ताव है अगर अरहिट के सामने पुल बना दिया जाए, महोदय, दूसरे किनारे पर एक सड़क है तो सीधे आने जाने में सहूलियत होगी, सभी लोगों को ।

अध्यक्ष : अपने गैर सरकारी संकल्प को जीवित रखिये, आप कहिये कि मैं प्रस्ताव वापस ले रहा हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस तो ले ही रहा हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-43 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0</u>

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई नीमतल्ला से बलतर, महेशपुर, गांजन होते हुए बिघोर तक जाने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को पथ निर्माण विभाग में परिवर्तित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : हुजूर, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग का है । माननीय सदस्य का कहना है कि पथ निर्माण में इसको ले आएं । पथ निर्माण में शामिल करने के लिए बहुत सारे नियम-कानून हैं । वे नियम-कानून इनके आवेदन के आलोक में फिट बैठते हैं या नहीं, यह तो जांच का विषय है । फिर भी पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक- 11548, दिनांक-25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराती है, महोदय ग्रामीण कार्य विभाग ही करायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, ये बारसोई अनुमंडल और बारसोई प्रखंड मुख्यालय है इसे पूर्व की तरफ जाने वाली करीब-करीब 10 पंचायत की जनता और महोदय, आजकल भारी गाड़ियां चलती हैं । ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों पर वाहन के लोड की क्षमता 20 क्विंटल रहती है और 40 टन, 50 टन, 60 टन, 70 टन तक की गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं । इसको दृष्टि में रखते हुए मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं पथ निर्माण विभाग के मंत्री से कि इसे पथ निर्माण विभाग में परिवर्तित करने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष : आपने अपनी बात को रख दिया, अब प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री महबूब आलम : धन्यवाद, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-44 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-45 : श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत सिकटा प्रखण्ड में रागी नहर पर बने

गौरीपुर-लखौरा सड़क को बेतिया-मैनाटाड़ मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ाव के लिए वैशखवा तक सड़क निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गौरीपुर से लखौरा को जोड़ने वाली सड़क रागी वितरणी के 44.310 आर0डी0 से होकर शेखवा टोले होते हुए धनकुटवा ग्राम में 52.41 आर0डी0 पर नहर को पारगमन करती है । प्रश्नगत मामला 52.410 से 59.400 आर0डी0 तक सड़क निर्माण का है । यह नहर सेवा पथ खंड कच्चा है जिसका उपयोग नहर निरीक्षण हेतु सेवा पथ के रूप में किया जाता है । प्रश्नतगत कच्चे नहर सेवा पथ खंड पर अगर सड़क निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा पक्कीकरण के निर्माण हेतु एन0ओ0सी0 की मांग की जायेगी तो जल संसाधन विभाग द्वारा नियमानुसार एन0ओ0सी0 दे दी जाएगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, उसी नहर पर आर0डब्लू0डी0 की कई सड़कें हैं । वैशखवा से सोनबरसा तक और फिर उसी पर लखौरा से बैरगिया तक ये नहर पर सड़के हैं लेकिन इस मामले में यह जल संसाधन विभाग को दे दिया गया । हम समझते हैं यह सर्वथा अनुचित है । महोदय, मात्र छह किलोमीटर....

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : जी, आपका आदेश है तो प्रस्ताव वापस ले रहा हूँ ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : लेकिन महोदय, मात्र छह किलोमीटर की सड़क बन जाने से 15 किलोमीटर लोगों को घूमकर आना पड़ता है । वह काम नहीं करना पड़ता उससे पूरे संसाधनों का, तमाम चीजों का एक तरह से नुकसान है ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-46 : श्रीमती निशा सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-47 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधानसभा स्थित केसरिया प्रखंड में इन डोर एवं आउट डोर स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का पत्रांक- 131, दिनांक- 13.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधानसभा स्थित केसरिया प्रखंड में इन डोर एवं आउट डोर स्टेडियम युक्त खेल परिसर के निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन की मांग अंचलाधिकारी, केसरिया से की गयी है । मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउट डोर स्टेडियम के निर्माण का लक्ष्य है परंतु प्रखंड स्तर पर इन डोर एवं आउट डोर स्टेडियम युक्त खेल परिसर के निर्माण से संबंधित कोई योजना वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित नहीं है ।

अतः माननीय सदस्या से आग्रह करता हूं कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबों की जानकारी के लिए कहना चाहती हूं कि केसरिया में काफी टैलेंटेड बच्चे हैं, क्रिकेट, फुटबाल सहित दौड़, लॉंग जम्प, हाई जम्प में भी वे काफी प्राईज लेकर आते हैं । जिला लेवल पर उनको सम्मानित भी किया जाता है । बच्चे बिना किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर के यह सब कर रहे हैं । मेरा एक आग्रह है कि इस पर विचार किया जाए और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेस बनवाया जाए । इसी के साथ माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया है वापस करने को मैं अपना प्रस्ताव लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-48 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-7/अभिनीत/14.07.2023

<u>क्रमांक-49 : श्री निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0</u>

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत विषवारी पंचायत से सुरसर नदी के पश्चिम छोर एवं पूर्वी छोर के बीच नदी के दोनों छोर तक पीएमजीएसवाई पक्की सड़क पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तावित पुल स्थल के एक तरफ विषवारी गांव अवस्थित है जिसकी संपर्कता पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत एल-036 ग्वालपाड़ा से विषवारी पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि है जिसमें कोई आबादी नहीं है । विभाग द्वारा राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल के एक तरफ की बसावट संपर्कित रहने एवं दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि रहने के कारण इसे विभाग के किसी भी नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । अभिस्तावित पुल स्थल पर डाउन स्ट्रीम लगभग पांच किलोमीटर पर पुल निर्मित है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट हम संरक्षण चाहेंगे और अपनी बात रखेंगे । प्रस्ताव तो वापस लेना ही है । महोदय, यह जो जगह है उस तरफ सहरसा जिला है और इस तरफ मधेपुरा जिला है । यह पुल बनने से महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस पर विचार हो । इस पुल के बनने से 32 पंचायतों सरसंडी, झंझरी, अमौजा, ललिया, बलियावासा, विषवारी, ग्वालपाड़ा, डफरा, भलुआही, तिराठी, पचलख, पहाड़पुर, डेफरा, सोहनिया, दुर्गापुर, बरेठ, रिंगवा, बरगांव, बरसम, जमहरा, तमकुंडा, भयनपट्टी, किशनपुर, सुरमाहा, खौजराहा इत्यादि गांव पचलख, दुर्गापुर 32 पंचायतों की लाखों जनता को दो घंटे का रास्ता, जो सहरसा बॉर्डर से मधेपुरा आते हैं, हमारे मंत्री महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री निरंजन कुमार मेहता : वापस लेंगे महोदय, एक सेकेंड, एक मिनट संरक्षण चाहिए । हमारे माननीय मंत्री रत्नेश सादा जी भी बैठे हुए हैं यहां पर वह भी जानते हैं कि यह पुल बनने से दो घंटे का रास्ता लाखों जनता को आधा घंटा में परिणत हो जायेगा । मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इस पर विचार हो और सरकार इस पुल का निर्माण जरूर करावे ।

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–50 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–51 : श्री संजीव चौरसिया, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–52 : श्री मनोज मंजिल, स0वि0स0

श्री मनोज मंजिल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अनुसूचित जाति आयोग के क्रियाशील नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति अत्याचार के 20,000 से ज्यादा मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं, विगत सात वर्षों से बंद अनुसूचित जाति आयोग का गठन करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–5614, दिनांक– 18.11.2009 द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है । राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए । अनुसूचित जाति आयोग को भाजपा के दबाव में बंद किया गया था । अब हमलोग भाजपा के दबाव से मुक्त हैं, हमारी सरकार है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार, भेदभाव के मामले, हत्या, रेप के मामले 20 हजार से ज्यादा लंबित हैं । सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व, बैकलॉग पोस्ट पर भर्ती, एस0सी0, एस0टी0 कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रमोशन, शिक्षा, एस0सी0, एस0टी0 बच्चों का स्कूली शिक्षा से ड्रॉप आउट, छात्रवृत्ति, छात्रावास ये सब सवाल हैं और राज्य में यह आयोग नहीं होने के कारण केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वहां जाना पड़ता है । अभी हाल ही में छः माह पहले मीटिंग हुई थी और राज्य सरकार के मुख्य सचिव, श्री आमिर सुबहानी ने कहा था कि हम तेज गति से एक अभियान लेंगे बैकलॉग पोस्ट की भर्ती के लिए, कल्याण के लिए लेकिन एस0सी0, एस0टी0 एट्रोसीटिज एक्ट के मामले में दो माह हो गये कोई कार्रवाई नहीं की गयी । कोई निगरानी करने वाला, कोई जांच करने वाला नहीं है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मनोज मंजिल : महोदय, मैं वापस लूंगा । यह एक संवैधानिक निकाय है । संविधान का उल्लंघन हो रहा है । एस0सी0, एस0टी0 वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको जल्द-से-जल्द...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ तो जाइये, माननीय मंत्री खड़े हुए हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को मैंने बताया कि आयोग का गठन प्रक्रियाधीन है, इस पर जल्दी कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संकल्प वापस लीजिए ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-53 : श्री सिद्धार्थ सौरव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-54 : श्री संतोष कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के प्रखंड करगहर के महत्वपूर्ण पथों बरांव-जहानाबाद पथ की लंबाई 27.7 कि0मी0, करगहर-बड़हरी धर्मपुरा पथ की लंबाई 19.5 कि0मी0 को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु हस्तांतरित करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग की है । पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक- 1548, दिनांक- 25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं इस आलोक में कि पथ निर्माण विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा जो जवाब आया है, माननीय मुख्यमंत्रीजी अभी अपने यात्रा के दौरान हमारे जिला में थे, यह प्रस्ताव उनके समक्ष भी मैंने रखा था और उन्होंने इसको स्वीकार किया था । उस समय पथ निर्माण विभाग के ए0सी0एस0 भी वहां मौजूद थे और उनके समक्ष ही इस 27.7 कि0मी0 और 19.5 कि0मी0, चूंकि महोदय, इसमें प्रखंडों को, अलग-अलग प्रखंडों को हमारे जिले में जोड़ती ही हैं सड़कें जिलों को भी जोड़ रही हैं । कैमूर और रोहतास भी इनसे जुड़

रहा है । लंबी सड़क है, ट्रैफिक ज्यादा है, पौने चार मीटर की जो चौड़ाई होती है ग्रामीण कार्य विभाग की..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लूंगा लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनी जाय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जो कहना था आपने कह दिया । यह गैर सरकारी संकल्प है, वापस ले लीजिए ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, पौने चार मीटर, कम-से-कम इंटरमीडिएट पथ में इसका चौड़ीकरण कराया जाय जो पथ निर्माण विभाग द्वारा ही किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी ने स्पष्ट आपके संकल्प के संबंध में अपनी बातों को कह दिये । अब आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं परंतु इस आग्रह के साथ कि इन दोनों सड़कों को, महत्वपूर्ण सड़कें हैं..

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-55 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0</u>

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलांतर्गत मनेर प्रखंड स्थित किस्ता-74 पश्चिमी हल्दी-छपरा पुराना टोला पृथ्वी राय के घर के निकट सोन सोती पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हल्दी-छपरा पुराना टोला श्री पृथ्वी राय के घर तक पी0सी0सी0 रोड बना हुआ है जो अच्छी स्थिति में है । श्री पृथ्वी राय के घर से लगभग 80 मीटर की दूरी पर सोन नदी का सोती है जिस पर पुल निर्माण की मांग की गयी है परंतु सोन नदी के उक्त सोती के बाद कोई बसावट नहीं है एवं उसके बाद लगभग 2.50 किलोमीटर के बाद सोन नदी है जहां तक कोई आबादी नहीं है । उक्त सोती पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-8/हेमन्त/14.07.2023

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जो भी रिपोर्ट आयी है, वह सरासर गलत है और वह हजारों एकड़ जमीन है, जहां किसान जाते हैं नाव से, कभी बाढ़ के दिनों में डूब भी जाते

हैं और उसमें पानी काफी रहता है । इसलिए मैंने आग्रह किया सरकार से कि उसमें पुल का निर्माण करावे । जो रिपोर्ट आयी वह गलत है । इतनी दूरी नहीं है और हजारों एकड़ जमीन है, जहां किसान जाकर अपनी खेतीबाड़ी करने का काम करते हैं । इसलिए आपके माध्यम से मैं यह चाहूंगा कि सरकार उस पुल को बनाने का काम करे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, थोड़ा आश्वासन दे दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की बात सुनकर हमने पूरा मेन्शन कर लिया, इसको विभाग से फिर से दिखवायेंगे और अगर इनकी बात में सत्यता होगी.. .अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, इतने सीनियर माननीय सदस्य हैं, इनकी बात कोई उठायेगा? नियमसंगत होगी, तो इनकी बात कौन उठायेगा ?

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, पॉजिटिव इनका जवाब आया है । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–56 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0</u>

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के दो प्रखंड रानीगंज एवं भरगामा को मिलाकर एक नए अनुमंडल रानीगंज का गठन करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उल्लेखनीय है कि राज्य में जिला अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । साथ ही, मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना था । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी

जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया । इस प्रकार उस विहित रीति से रानीगंज को अनुमंडल बनाने के लिए सम्प्रति प्रस्ताव नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-57 : श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

श्री मुहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, इस प्रश्न के लिए हमारे माननीय मंत्री संजय झा भी बैठे हैं। ये भी दुखी हैं, श्री ललित यादव भी दुखी हैं, बिहार के लोग भी दुखी हैं । अभी प्रश्न आ गया है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, महोदय ।

राज्य में एम्स की स्थापना का निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हैं ही नहीं वह लोग, रहते तो भारत सरकार कहने में थोड़ा अच्छा लगता हमको, लेकिन वह तो हैं ही नहीं, तो भारत सरकार के निर्णयानुसार फिलहाल दरभंगा में द्वितीय एम्स निर्माण का प्रस्ताव है । अब उसमें भी उन लोगों ने पता नहीं क्या-क्या किया है, संजय जी, माननीय मंत्री ही बता सकते हैं, लेकिन उल्लेखनीय है कि किशनगंज जिला में माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, किशनगंज संचालित हैं । वर्तमान में किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन में नये एम्स की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । महोदय, पहले दरभंगा वाला लड़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें कुछ कहा जायेगा । अभी तो एक ही मांग रहे हैं हमारे माननीय मंत्री, उसी में इतनी अड़चन है कि कहा नहीं जा सकता । महोदय, इसमें अभी कोई विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, इसको विचार में रखते हुए भारत सरकार से मांग करने का मैंने आग्रह किया है । मंत्री जी कर दें, तो बेहतर है । इसी के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–58 : श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के कैंसर, किडनी एवं पथरी जैसे गंभीर रोग से ग्रसित क्षेत्र सीमांचल किशनगंज जिला में एम्स का निर्माण कराने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, हमने कितनी बार आग्रह किया माननीय सदस्य से कि इधर आकर बैठिये । बैठते भी नहीं हैं, एम्स भी मांगते हैं । क्या करेंगे, महोदय ?

अध्यक्ष : बैठे तो हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, राज्य में एम्स की स्थापना का निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णयानुसार फिलहाल दरभंगा में द्वितीय एम्स का निर्माण प्रस्तावित है । महोदय, वर्तमान में किशनगंज जिलान्तर्गत नये एम्स की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । लेकिन माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपने प्रस्ताव को वापस लेते हुए हम लोगों के साथ रहिये, मिलकर लड़ेंगे, हो सकता है कि कुछ रास्ता निकल जाय ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय की गंभीरता इससे देखी जा सकती है....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आइये हम मिलकर लड़ें और जहां रुकावट है, उस रुकावट को दूर करें । ये बहुत दूर की बात है ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, हर पॉजिटिव काम में हम आपके साथ हैं । महोदय, गंभीरता यह है कि उसी क्षेत्र के दो विधायकों का बगैर किसी मशवरे के एक ही मुद्दे का मुतालबा हो रहा है । महोदय, हमारा इलाका आर्सेनिक है । वहां पर अभी यूरेनियम भी आ गया है, आयरन की मात्रा ज्यादा है । अभी महावीर कैंसर संस्था ने 10 अति प्रभावित कैंसर क्षेत्र का मामला किया है उसमें किशनगंज शामिल है, पूर्णिया शामिल है, कटिहार है, अररिया है और राष्ट्रीय स्तर पर जो 20 गरीब जिले हैं, ये जिले उनमें शामिल हैं और सबसे ज्यादा, हमारे फ्लैट में चलिये, वहां लगभग दर्जन भर बीमारों की संख्या है । सर, सबसे ज्यादा बीमार हमारे यहां हैं और माता

गुजरी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए काफी नहीं है । बिहार सरकार को तो करना भी नहीं है, प्रस्ताव भेजना है । सर, मैं एक पॉजिटिव चीज बता देता हूं कि बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है भूमि की....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, और माननीय सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प हैं और समय की तरफ भी देखिये ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, एक मिनट, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं । पाटकोईकलां में खाता नं0-270 में 336 एकड़ जमीन मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए वहां के डी0एम0 ने प्रस्ताव भेजा है । दरभंगा में मामला है कि जमीन नहीं मिल पा रही है । सर, हमारे यहां जमीन है, सिर्फ प्रस्ताव भेजना है, बिहार सरकार का तो कुछ है नहीं । केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, तो उसके सौतेलेपन का सबूत भी आ जायेगा । सर, प्रस्ताव भिजवा दिया जाय ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को जानकारी का अभाव है । माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय पी0एच0ई0डी0 मंत्री सब लोगों ने एक साथ जाकर स्थल निरीक्षण किया और भारत सरकार को कहा कि हमारे पास जमीन है, आप बनाइये इसमें । वह बनाने को तैयार नहीं है । हम जमीन लेकर बैठे हुए हैं । महोदय, अब बात यह है कि अस्पताल, स्कूल पर उनका ध्यान थोड़ा कम होता है और मंदिर, मस्जिद पर ज्यादा ध्यान रहता है । इसलिए उनको...

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ने तय किया कि दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा और दरभंगा में आपको पता है कि एयरपोर्ट वहां पर फंक्शनल है । कहीं भी एम्स बनता है तो एयर कनेक्टिविटी भी महत्वपूर्ण पार्ट होता है एम्स बनने में । क्योंकि एयर एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर्स सबका आना-जाना रहता है । माननीय मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा में जाकर, खुद स्पॉट में जाकर जमीन तय की । उसके बाद कैबिनेट से पास करके 300 करोड़ रुपये दे दिये गये, टेंडर कर दिया गया 8 पैकेज का कि उसकी मिट्टी भरायी हो और दीवार कर दी जाय । भारत सरकार की टीम आयी और उस टीम ने पत्रकारों को कहा कि यह बिल्कुल सही जगह है । वह ईस्ट-वेस्ट रोड से कभी जाते होंगे मुजफ्फरपुर से पूर्णिया की तरफ, उसके ऊपर है । उसके बाद पता नहीं भारत सरकार को क्या हुआ, उसको रोककर बैठे हुए हैं । इसलिए वह तो तय है । आगे कुछ और बनना होगा, तो अलग बात है ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, वापस ले रहा हूं, लेकिन प्रस्ताव भेजने में हर्ज नहीं है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-9/धिरेन्द्र/14.07.2023

क्रमांक-59 : श्री महानंद सिंह, स०वि०स०

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिला में सोन नहर प्रणाली के पानी के गारंटी के लिए इंद्रपुरी जलाशय (कदवन) का निर्माण एवं पूर्ण सर्वेक्षण के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि इंद्रपुरी जलाशय (कदवन) के निर्माण हेतु प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन (पी०पी०आर०) केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है । केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार के सुझाव के आलोक में प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन (पी०पी०आर०) उत्तर प्रदेश एवं झारखंड सरकार को भेजा गया है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी है परन्तु झारखंड सरकार द्वारा बाणसागर समझौता के अनुसार अविभाजित बिहार को आवंटित जल के बंटवारे के पश्चात् मंतव्य सहमति देने की सूचना दी गई है । झारखंड सरकार से प्राप्त होने वाले मंतव्य में हो रहे विलंब के कारण बिहार सरकार के अनुरोध पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक-31 अगस्त, 2022 को बैठक हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि बिहार एवं झारखंड राज्य पूर्व में गठित संयुक्त तकनीकी दल की अगली बैठक सितम्बर, 2022 के तृतीय सप्ताह से पहले आहूत की जाय । बिहार सरकार के पत्रांक-576, दिनांक-09.09.2022 एवं अन्य पत्रों के माध्यम से झारखंड सरकार से बैठक आहूत करने के लिए तिथि निर्धारण हेतु कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अब तक झारखंड सरकार द्वारा तिथि निर्धारित नहीं की गयी है । इस कारण से सोन नदी से अविभाजित बिहार को आवंटित जल का बंटवारा अंतिम रूप से एवं इंद्रपुरी जलाशय योजना निहित अंतर्राज्यीय मामले का समाधान नहीं हो पा रहा है । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति के पश्चात् कार्यान्वयन की दिशा में कार्रवाई की जायेगी । खरीफ वर्ष 2022 में अरवल जिलांतर्गत सोन नहर प्रणाली के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य 23,930 हेक्टेयर के विरुद्ध 23,180 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है । साथ ही, जिन नहरों में पुनर्स्थापन की आवश्यकता हुई है,

उनका कार्यान्वयन हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत कराया जा रहा है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : महानंद बाबू, आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री महानंद सिंह : जी, महोदय । वापस ले ले रहे हैं...

अध्यक्ष : चूंकि जो सक्षम कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तमाम कार्रवाई के संबंध में माननीय मंत्री ने सदन को जानकारी देने और आपको भी संतुष्ट करने का काम किया है ।

श्री महानंद सिंह : जी, महोदय । थोड़ा-सा कहना है, मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री लेवल पर...

अध्यक्ष : इसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, मंत्री लेवल पर झारखंड सरकार से बात हो तब एक बात बनेगी । केवल पदाधिकारी के जरिये वार्ता हो रही है । मैं समझता हूँ कि अभी वहाँ हमलोगों के समर्थन वाली सरकार है ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री महानंद सिंह : जी, महोदय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-60 : श्री मो॰ नेहालउद्दीन, स॰वि॰स॰

श्री मो॰ नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F-18015/32/2007 NM, दिनांक 24.07.2009 के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, पटना के ज्ञापांक-832/अभियान, दिनांक-28.08.2009 के द्वारा नियुक्त S.P.O. (Special Police Officer) को सेवामुक्ति वापस करने से संबंधित प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F-18015/32/2007 NM, दिनांक-24.07.2009 द्वारा एस॰आर॰ई॰ जिले के लिए 3353 Special Police Officer (S.P.O.) प्रतिपूर्ति के 1000 रुपया मानदेय पर रखने की अनुमति दी गई । इस पत्र के आलोक में पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक-832/अभियान, दिनांक-28.08.2009 द्वारा 15 एस॰आर॰ई॰ जिले के निर्धारित संख्या आवंटित करते हुए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से पत्राचार किया गया । उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र सरकार द्वारा न्यू एस॰आर॰ई॰ गाइडलाईन जारी किया गया, जिसमें उल्लेखित है कि S.P.O. के पद

पर वही कार्य कर सकते हैं जो एक्स-आर्मी, एक्स-पुलिसमैन हैं । पुनः वर्ष 2022-23 में वर्ष 2025-26 तक के लिए नवीनतम एस॰आर॰ई॰ गाइडलाईन जारी हुआ जिसमें S.P.O. के पद पर कार्यरत होने के लिए योग्यता एक्स-आर्मी या एक्स-पुलिसमैन ही रखी गयी है । पूर्व से कार्यरत विशेष पुलिस पदाधिकारी (S.P.O.) में कोई भी पूर्व सैनिक पूर्व पुलिस कर्मी नहीं हैं । इस तरह नवीन मार्गदर्शिका के आलोक में पूर्व से कार्यरत कोई भी पुलिस पदाधिकारी S.P.O. के पद की योग्यता पूरी नहीं करता है । वामपंथ, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा आमजनों को S.P.O. के रूप में नियुक्ति हेतु सहमति दी गई थी । गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-211/18015/12/2022 LWE-3, दिनांक 29.08.2022 द्वारा नवीनतम एस॰आर॰ई॰ गाइडलाईन जारी किया गया । इसमें अंकित है कि S.P.O. shall be Ex-Army, Ex-Policemen, यह भारत सरकार का नीतिगत निर्णय है । उक्त परिप्रेक्ष्य में, गैर-सरकारी संकल्प में अंकित S.P.O. को सेवामुक्ति से वापस कराने संबंधी गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार को भेजने का औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री मो॰ नेहालउद्दीन : महोदय, वापस तो लेना ही है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है । हम एक बात कहना चाहते हैं कि बिहार के तकरीबन दस हजार से ज्यादा लोग सिर्फ छः हजार रुपये में ये काम कर रहे थे । हमने सिर्फ यह आग्रह किया है कि एक प्रस्ताव, प्रदेशवाशियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को, अगर भारत सरकार को भेज दिया जाता है तो ये उनके भविष्य और उनके बाल-बच्चों के भविष्य का सवाल है । इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इस प्रस्ताव को आप भारत सरकार को भेज दें ।

अध्यक्ष : आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री मो॰ नेहालउद्दीन : जी, महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-61 : श्री सत्यदेव राम, स॰वि॰स॰

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून के तहत दो सौ दिन काम और 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी देने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लंबा उत्तर है ।

अध्यक्ष : लंबा उत्तर है तो उसे संक्षेप में उत्तर दे दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिना लंबा उत्तर के माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे।

अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार को सिफारिश कर दें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक बार सिफारिश कर दीजिये, हम मान लेंगे अभी ही ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्ञातव्य है कि मनरेगा योजना एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है । जब महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 के तहत संचालित है । मनरेगा अधिनियम की धारा-3(1) के अनुसार मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। अधिनियम की धारा-6(1) के आलोक में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष मनरेगा अंतर्गत कार्य करने वाले अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी की दर सभी राज्यों के लिए संशोधित कर अधिसूचित किया जाता है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए मनरेगा अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी 228 रुपये अधिसूचित है । भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित दरों की सूची में अधिकतम 357 रुपये हरियाणा के लिए अधिसूचित है । मनरेगा अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी की दर में अन्य राज्यों के सापेक्ष बिहार राज्य के लिए समुचित वृद्धि किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । साथ ही, विभाग द्वारा श्रम, समय, गति पर अध्ययन उपरांत प्राप्त रिपोर्ट पर तकनीकी सहमति की अनुशंसा के आधार पर अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी भुगतान के संबंध में एक अकुशल मजदूर को प्रति 7 घंटा काम के लिए मिट्टी के साथ विभिन्न लीड एवं लिफ्ट के लिए पूर्व से निर्धारित दरों को संशोधित किया गया है ।

(क्रमशः)

टर्न-10/संगीता/14.07.2023

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (क्रमशः) : उक्त आलोक में मनरेगा अंतर्गत देय मजदूरी प्रकार के घंटों को कम कर दिया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत विषय भारत सरकार के संज्ञान में है तथा राज्य सरकार संवेदनशील है । अतः इस विषय पर भारत सरकार से सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है । अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैंने कुछ मांगा नहीं है । मैंने सिर्फ इतनी ही बात की है कि आज के इस महंगाई को देखकर के और आज के इस बेरोजगारी को देखकर के हमने तो सिर्फ कहा है कि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाय । चूंकि महोदय, आपने देखा कि जब कोरोना का महामारी फैला तब सरकार के पास एक ही बात रह गई थी कि हम बिहार में काम देंगे और मनरेगा में काम देंगे । इसलिए इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने यह आग्रह किया है कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजे कि हमको 200 दिन काम और 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी का प्रस्ताव भेजे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से संकल्प का उत्तर इनको बताया महोदय । हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और भारत सरकार के मंत्री जी को भी पत्र लिखा है और भारत सरकार के मंत्री जी से जाकर मिलकर डेलिगेशन मिलकर के बिहार के गरीब मजदूरों की चिन्ता हमने जाहिर की है महोदय लेकिन भारत सरकार कुछ इधर से उधर करने को तैयार नहीं है और माननीय सदस्य का आग्रह है तो जरूर एक बार पुनः हम भारत सरकार को जरूर स्मारित कर देंगे ।

अध्यक्ष : सत्यदेव बाबू ।

श्री सत्यदेव राम : जी ।

अध्यक्ष : खोदा पहाड़ निकली चुहिया । पर भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि फिर एक बार लिख देंगे ।

श्री सत्यदेव राम : हम तो यही अपील कर रहे हैं महोदय ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री सत्यदेव राम : हम तो प्रस्ताव वापस लेंगे ही महोदय । हम तो चाहते हैं कि यह सर्वसम्मति से सदन भेज दे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : चलिए, अब आपकी बात नहीं काटेंगे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-62 : श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–63 : ई0 शशि भूषण सिंह, स0वि0स0

ई0 शशि भूषण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड रामगढ़वा के पंचायत बैरिया के ग्राम जोगवलिया में बंगड़ी नदी में जोगवलिया घाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, अवस्थित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट जोगवलिया एवं लक्ष्मीपुर को शीर्ष नई अनुरक्षण नीति, 2018 अंतर्गत निर्मित NH–28A से लक्ष्मीपुर पथ से एवं दूसरी तरफ अवस्थित बसावट जुमाईटोला से MMGSY अंतर्गत निर्मित L025 से जुमाईटोला पथ से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अपस्ट्रीम लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एवं डाउन स्ट्रीम लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व से पुल निर्मित है । अतएव दोहरी संपर्कता का मामला होने के कारण पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

ई0 शशि भूषण सिंह : महोदय, वहां पुल बनाना निहायत जरूरी है कि बार–बार हमलोगों को लोग घेर रहे हैं ऐसी स्थिति में वहां पर पुल बनवाया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन हर हालत में वहां पर पुल बनना चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–64 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी प्रखंड के बिहटा के महुलानी में तेलहर नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बिहटा गांव को आरा सहार बिहटा RCD पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं चारू ग्राम को आरा मुख्य कैनाल पथ से संपर्कता प्राप्त है । तेलहर नदी के दूसरी तरफ बिहटा ग्रामवासियों के लिए कृषि कार्य एवं बगीचा आदि में जाने का निकासी का मार्ग है एवं कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । अभिस्तावित पुल स्थल से अपस्ट्रीम में एक

किलोमीटर पर पूर्व से पुल निर्माण निगम द्वारा उच्चस्तरीय पुल निर्मित है । अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, पूरा चारू ग्राम उस तरफ खेती करने जाता है पूरा और मुझे लगता है कि अभी तक 5 लोगों की डूबकर के बाढ़ के समय में मृत्यु हो चुकी है । यह पुल बहुत ही अनिवार्य है महोदय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं और आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि उसको बनाने पर विचार करें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-65 : श्री रामवृक्ष सदा, स0वि0स0

श्री रामवृक्ष सदा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड अन्तर्गत बालापुर गंगोर पंचायत एवं चक्कीपार पंचायत के बीच गंडक नदी पर चक्कीपार के पास पुल निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल खगड़िया बखरी PWD पथ से चक्की तक पथ एलाइनमेंट पर अवस्थित है । उक्त पथ पर सह पुल शीर्ष MMGSY, NDB योजनान्तर्गत स्वीकृति उपरान्त संबंधित संवेदक से एकरारनामा कर लिया गया है । एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 11.10.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10.04.2024 है । ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामवृक्ष सदा : माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-66 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-67 : श्री अजीत कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिला के डुमरांव के रेल फाटक संख्या-67 पर प्रतिदिन लम्बी जाम से निजात हेतु रेल

फाटक पर रेल ओवर ब्रिज (ROB) के शीघ्र निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग । माननीय सभी मंत्री जी से आग्रह है कि वे अपने जवाब को संक्षिप्त रखने का प्रयास करें इसलिए कि अब समय की बहुत कमी है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमरांव रेल समपार संख्या LC नंबर-67A पर ROB का निर्माण रेलवे के साथ किए गए MOU के तहत प्रस्तावित है । जिसका निर्माण बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा किया जाना है । GAD का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । रेलवे के साथ अद्यतन DNG चार्जेज का निराकरण कर लिया गया है । तदुपरांत पुनरीक्षित DPR का गठन भी कर लिया गया है । अब सबकुछ हो ही गया है महोदय तो माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अजीत कुमार सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-68 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-69 : श्री प्रेम कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-11/सुरज/14.07.2023

क्रमांक सं0-70, श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0

श्री अजीत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ग्रीन फील्ड नीति के तहत भागलपुर में एयरपोर्ट का निर्माण कर हवाई सेवा शुरू करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार ने तो सिफारिश कर ही दी है और इसके लिये जो प्रक्रिया है, उसके तहत इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड बिडिंग भी की गयी है लेकिन कोई विमान चलाने वाली कंपनी अभी तक उसमें रूचि नहीं दिखायी है और सरकार तो इसमें तत्पर है ही । राज्य सरकार की तरफ से जो होना है वह तो हमलोग कर ही चुके हैं । इसलिये हम माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा जी से आग्रह करते हैं कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात पहले भी जब ये विधान सभा अध्यक्ष थे तो वहां से भी इन्होंने यही कहा था । लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वह भागलपुर

रेशमी शहर के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है । वहां लाखों बुनकर जो सिल्क बनाते हैं वह गौराडीह में, मेरा पहले भी सदन में सवाल था । गौराडीह में 500 एकड़ सरकारी जमीन है, उसको एक्वायर करके बनाया जाय । उसको मैं मंत्री महोदय से केन्द्र सरकार को भेजने का आग्रह करता हूं । इसलिये अगर वह भेजते हैं तब मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मंत्री जी बोल दें, प्रस्ताव भेजने में क्या है । वहां जमीन है 500 एकड़ फिर से एक्वायर करके...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि बार-बार प्रस्ताव, बार-बार कार्रवाई होती है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, पहले से जो एयरपोर्ट है, बहुत छोटा है उसकी बिडिंग की वह बात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य शर्मा जी ने कहा कि आप पहले भी कहे थे, वहां थे तब भी कहे थे, यहां थे तब भी कहे थे । तो महोदय, यही न सच और सत्य की पहचान होती है कि वह कभी बदलता नहीं है । जो सच आज है वह कल भी सच ही रहता है ।

अध्यक्ष : सरकार अपने वादे पर अडिग है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अपने वचन पर भी अडिग है । हमने तो अनुशंसा कर ही दी है और भारत सरकार इसमें पेंच लगा रही है तो माननीय सदस्य को इसको समझना चाहिये न कि वहां पर । महोदय, हमलोग तो सब कर चुके हैं ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, अगर वह एक्वायर करके बनता है उद्योग के लिये । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक -71, श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक -72, श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक –73, श्री मोहम्मद अंजार नईमी, स0वि0स0

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत गोरूमारा घाट (दिघलबैंक) में हुये क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल स्तर पर पी0एम0जी0एस0वाई0–3 अंतर्गत प्रस्तावित पुल शिया से बीबीगंज पथ तक एलिजमेंट पर अवस्थित है । उक्त पथ सह पुल निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर एस0टी0ए0 से अनुमोदित एन0आर0आई0डी0ए0, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित है । तदोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव होगा । महोदय, भारत सरकार को भेजा गया है वहां से आ जाता है तो इनका स्वीकृत होगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : ठीक है जल्दी हो जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक –74, श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के हथियारा पंचायत के ग्राम देवकुण्ड में नये विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के देवकुंड में 33/11 के लिये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र उपहारा से 11 किलोमीटर देवकुंड फीडर लगभग 8 किलोमीटर के द्वारा सुचारू रूप से गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जा रही है । वर्तमान समय में तकनीकी रूप से गोह प्रखंड के देवकुंड में नया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

अत: महोदय मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे अपना संकल्प वापसे लें ।

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, देवकुंड एक प्राचीन धार्मिक स्थान है । वहां लाखों लोगों का मेला लगता है, वहां बहुत बड़ा बाजार है और वहां से अरवल जिला का बार्डर है और हम समझते हैं कि 11–12 किलोमीटर की दूरी पर विद्युत उपकेन्द्र है। वहां लाईन की बराबर दिक्कत रहती है, कट जाती है । इसलिये माननीय मंत्री जी से, सरकार से मेरा आग्रह होगा आपके माध्यम से कि वहां विद्युत उपकेन्द्र बनावे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री भीम कुमार सिंह : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक –75, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के हाजीपुर में मैट्रो रेल का निर्माण कर परिचालन शुरू किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, इस तरह का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसलिये माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या कोई प्रस्ताव नहीं है । आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस तो लूंगी ही लेकिन पटना से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली है और प्रतिदिन हजारों लोग हाजीपुर से पटना आते रहते हैं । इसलिये मैं चाहती हूं कि हमारी बिहार सरकार जो विकास के कार्यों में इतनी रूचि लेती है तो इस प्रस्ताव को भेजे और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन में उठाने का, बिहार में जानकारी देने का, क्षेत्र के लोगों को बतलाने का आपने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से काम कर दिया । आप अपना प्रस्ताव वापस लेती हैं ?

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : जी वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक –76, श्री सुरेन्द्र मेहता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक –77, श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोरवा विधान सभा क्षेत्र में कोठिया से गुनाई बसही तक नुन नदी के किनारे तटबंध का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र में मोरवा प्रखंड अंतर्गत कोठिया से गुनाई बसही तक नुन नदी पर तटबंध निर्मित नहीं है । जबकि गुनाई बसही से डाउन स्ट्रीट में पूरी लंबाई में नुन बायां एवं दायां तटबंध निर्मित है । बाढ़ अवधि में नुन नदी के जल स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर प्रश्नगत क्षेत्र में जलप्लवन की समस्या उत्पन्न

होती है । नदी के जल स्तर घटने पर कुछ दिनों के अंदर पानी स्वतः निकल जाता है । ग्राम कोठिया से गुनाई बसही तक नदी के बायें किनारे चकसिकंदर एवं दायें किनारे चकपहाड़ पंचायत अवस्थित है तथा घनी आबादी अवस्थित है । ऐसी स्थिति में तटबंध के निर्माण हेतु भू-अर्जन पुर्नवास की आवश्यकता होगी जो कि थोड़ा मुश्किल है । वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर तटबंध निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, यह जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का क्षेत्र रहा है और उनके द्वारा जो नुन नदी पर तटबंध बनाया गया है, उसके बाद आज तक तटबंध का निर्माण नहीं हुआ है जिसके कारण हजारों एकड़ भूमि में जल-जमाव की समस्या है, किसान को सिर्फ एक फसल उगाना पड़ता है और लगभग एक दर्जन से ज्यादा छोटे-छोटे बच्चे बाढ़ के पानी में, जब बाढ़ आती है तो दोनों तरफ घनी आबादी है माननीय मंत्री जी ने भी कहा तो चकपहाड़, चकसिकंदर, माधोपुर धनरूआ, कोठिया और गुनाई बसही में बहुत पानी आने के कारण ये समस्या है इसलिये माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि माननीय मंत्री जी बहुत उदार हैं, हमारे मिथिलांचल के हैं और मिथिलांचल का शुरूआत का जो पंचायत हमारा समस्तीपुर का कोठिया से ही शुरू होता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री रणविजय साहू : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-12/राहुल/14.07.2023

<u>क्रमांक -78, श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के सासाराम अंतर्गत गोला बाजार में हटाये गये नगर थाना को स्थाई या थाना चौकी के रूप में स्थापित करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम अनुमंडल अन्तर्गत गोला बाजार में सासाराम नगर थाना कार्यरत था । वर्ष 2019 में मॉडल थाना भवन निर्माण के उपरांत इसको नवनिर्मित मॉडल थाना भवन में स्थानांतरित किया गया तब से वहीं कार्यरत है । गोला बाजार स्थित नगर थाना, सासाराम के पुराने परिसर में पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों, बैरक, आवासन सुचारू रूप से निरंतर है । जिला पदाधिकारी, रोहतास एवं पुलिस अधीक्षक, रोहतास के

संयुक्त हस्ताक्षरित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक-1318, दिनांक-27.01.2023 के द्वारा गोला बाजार के पुराने थाना परिसर में नये सासाराम थाना सृजन निर्माण हेतु प्रस्ताव आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना में पुलिस उप महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डेहरी आनसोन को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है । इसको जल्दी दिखवाया जायेगा चूंकि दिनांक-27.01.2023 को ही प्रस्ताव आया है। अतः अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : वापस लीजिये ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : ठीक है । प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक-79 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-80 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर अन्तर्गत रून्नी बाजार से रकसीया तक के जर्जर पथ का जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई 1.8 किलोमीटर है जो रून्नी बाजार से रकसीया पथ के नाम से पूर्व से निर्मित है एवं क्षतिग्रस्त है । नई अनुरक्षण नीति, 2018 अन्तर्गत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पथ की मरम्मती हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : वापस लीजिये ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : इसको थोड़ा जल्दी मंत्रीजी करवा देने की कृपा करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-81 : डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-82 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुटुम्बा से अन्य सभी पावर स्टेशनों की दूरी काफी दूर होने की वजह से कुटुम्बा के पास पॉवर सब स्टेशन का निर्माण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुटुम्बा में सुचारू रूप से एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र अम्बा (हरदाता) एवं 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, जमुआ से की जा रही है जिसकी दूरी कुटुम्बा पंचायत से क्रमशः लगभग 07 किलोमीटर एवं 10 किलोमीटर है तथा विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की क्षमता 11 के0वी0 लोड के अनुसार पर्याप्त है । वर्तमान में तकनीकी रूप से कुटुम्बा के पास नया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण की आवश्यकता नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प वापस लेता हूं लेकिन उसके पहले आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि वर्णित जो भी प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने दिया वह वर्णित विषय तो सही है उससे हमारी आपूर्ति हो रही है लेकिन उसकी दूरी ज्यादा है और खासकर के बरसात के दिनों में फॉल्ट बहुत ज्यादा लगता है तो सरकार उसको संज्ञान में रखकर निकट भविष्य में आगे का प्रस्ताव बनाये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 8 किलोमीटर और 11 किलोमीटर की यह दूरी ज्यादा तो है नहीं अब हर घर तो सब स्टेशन बनेगा नहीं । फॉल्ट की बात है तो बरसात के महीने में तो पूरी दुनिया में वृक्ष गिर जाता है वर्षा होती है उसको ठीक किया जायेगा इसमें कोई चिंता की बात नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री राजेश कुमार : इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-83 : श्री रामविलास कामत, स0वि0स0

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिलान्तर्गत सहरसा-सुपौल रेलखंड में सुंदरपुर हाल्ट के उत्तर, पूर्व-पश्चिम सड़क में रेलवे समपार ढ़ाला का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, सहरासा-सुपौल रेलखंड में सुंदरपुर हाल्ट के उत्तर, पूर्व-पश्चिम सड़क पर लेवल क्रोसिंग के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता सड़क सुरक्षा कर पूर्व-मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया जा चुका है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य वापस लीजिये ।

श्री रामविलास कामत : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-84 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के विभूति प्रखंडान्तर्गत गंडक नदी के दायां तटबंध पर पंचायत नरहन से कर्रख जाने वाली कालीकरण जर्जर रोड का जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत नरहन से कर्रख तक बूढ़ी गंडक दायां तटबंध के किलोमीटर 81.60 से किलोमीटर 72.45 निर्मित है । इस भाग में तटबंध के शीर्ष ब्लैक टॉपिंग किया गया है । इसका उपयोग तटबंध की निरीक्षण एवं बाढ़ संर्घषात्मक सामग्रियों की ढुलाई इत्यादि हेतु किया जाता है । बाढ़ अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार कार्य कराकर तटबंध को मोटरेबुल बनाकर रखा जाता है । इसका फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें । वैसे तो आप मिल ही लिये थे तो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अजय कुमार : वापस ले लेंगे लेकिन...

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : आपसे बात हो गयी है ।

अध्यक्ष : जब बात ही हो गयी है तो वापस ले लीजिये ।

श्री अजय कुमार : ठीक है प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-85 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड में पुरानी बागमती नदी पर बलहा मुसहरी के पास आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट मीनापुर, बलदाहा-मुसहरी टोला जी0टी0एस0एन0वाई0 अंतर्गत मुसहरी अनुसूचित जाति कॉलोनी से टी0-01 तक पथ से एक-दूसरे तक अवस्थित बसावट परसुरामपुर टोला को आर0सी0डी0 पथ, परसौनी से रीगा बाजार जाने वाले पथ से संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल के अप स्ट्रीम में डेढ़ किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 800 मीटर पर पुल निर्मित है । अतः दोहरी संपर्कता मामला होने के कारण पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प वापस लें ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो पुल नदी के बगल में है वह शिवहर जिला पड़ जाता है, इधर सीतामढ़ी जिला पड़ता है उस आदमी को ब्लॉक आने के लिए 8 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है इसलिए हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि उसको दोबारा दिखवा लें और आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन उस पर विचार करें ।

अध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-86 : श्री हरिनारायण सिंह, स0वि0स0</u>

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल आर0डब्ल्यू0डी0 हरनौत के चण्डी प्रखंड के माधोपुर बाजार के पश्चिम एन0एच0-30 'ए' से हासनचक तक पूर्व से निर्मित आर0डब्ल्यू0डी0 की सड़क तक की सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, माधोपुर बाजार एन0एच0-30 'ए' पर अवस्थित है । हासनचक बसावट को शीर्ष बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अन्तर्गत मरम्मती किये गये धर्मपुर-सिंधवारा पथ से हासनचक पथ तक जिसकी लंबाई 0.69 किलोमीटर है, एकल संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पथ आरेखन को कोई अन्य अनजुड़ी बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । अतः इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-13/मुकुल/14.07.2023

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस 1 कि0मी0 की सड़क के निर्माण होने से माधोपुर बाजार के एन0एच0-30 'ए' से मात्र हासनचक की दूरी 1 कि0मी0 है जबकि अभी हासनचक जाने के लिए जो पूर्व से आर0डब्ल्यू0डी0 की सड़क बनी हुई है वहां 3 कि0मी0 जाना पड़ता है और 3 कि0मी0 के बाद

करीब-करीब दर्जनों गांव, तो 1 कि0मी0 सड़क आपको जो सुलभ सम्पर्कता के अंतर्गत यदि माधोपुर से एन0एच0-30 'ए' से अगर सड़क बना दी जाती है तो 12 गांव को सुलभ सम्पर्कता प्राप्त होगी । इसलिए इसको प्रायोरिटी देकर जरूर बनवा दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-87 : श्री युसुफ सलाहउद्दीन, स0वि0स0

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।''

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि जिला पदाधिकारी, सहरसा से उक्त अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय के स्थापना हेतु बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई का अनुरोध किया गया है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, हम अपना संकल्प वापस लेंगे । बस यह कहना था कि 5 करोड़ की राशि भी विमुक्त हो चुकी है, बस वह जमीन खोजा जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : जी सर । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-88 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-89 : श्री चन्द्रहास चौपाल, स0वि0स0

श्री चन्द्रहास चौपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय मधेपुरा में डॉक्टर,

सहयोगी स्टाफ (नर्स, टेक्निसियन) तथा जांच सुविधा की व्यवस्था रोगियों की संख्या के अनुपात में उपलब्ध करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में मानक के अनुरूप लगभग सभी प्रकार की जांच सुविधा, कमरे एवं बेड उपलब्ध है ।

वर्तमान में वस्तुस्थिति यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में प्राध्यापक-02, सह-प्राध्यापक-09, सहायक प्राध्यापक-18, ट्यूटर-22, सीनियर रेजिडेन्ट-41, जूनियर रेजिडेन्ट-17 एवं सामान्य चिकित्सा मदाधिकारी-10 के रूप में चिकित्सक कार्यरत हैं, जिनके द्वारा मरीजों का उचित चिकित्सीय देखभाल, परामर्श तथा ईलाज किया जाता है । साथ ही, नये जूनियर रेजिडेन्ट के पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है ।

चिकित्सीय कार्यों में सहयोग हेतु अन्य चिकित्सीय कर्मी यथा-एक्स-रे टेक्नीशियन, फार्मासिष्ट, स्टाफ नर्स, शल्य कक्ष सहायक, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन, ऑपथैलमिक असिस्टेन्ट, फिजियोथेरापिस्ट तथा अकुपेशनलथेरापिस्ट पदस्थापित हैं ।

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु अनेक जांच यथा-एक्स-रे, सी0टी0 स्कैन, इ0सी0जी0, टी0एम0टी0 एवं सभी प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच सुविधाएं एवं ब्लड बैंक आदि की सुविधा उपलब्ध है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर टेक्नीशियन का अभाव है और मरीजों को सारी जांच बाहर से करवाना पड़ता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं । इसलिए माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : अध्यक्ष महोदय, इसकी पुनः जांच करवा लिया जाय । मैं आपके माध्यम से संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-90 : श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-91 : श्री हरि भूषण ठाकुर 'बचोल', स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-01 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के गुरूआ प्रखंड के दुब्बा पंचायत अन्तर्गत पर्यटक स्थल भुरहा में पूर्व से निर्मित जर्जर पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत प्रश्नगत पुल, रफीगंज-कसमा-नवडीहा-भरौंधा-गरूआ पथ के 25 कि0मी0 में अवस्थित है, जिसकी लम्बाई 25.00 मी0 एवं चौड़ाई 3.00 मी0 है ।

पुराने पुल के स्थान पर नया उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 ब्रीज का निर्माण संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं लेकिन वह पुल बहुत ही जरूरी है, वहां पर बहुत ही घनी आबादी है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि संसाधन प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जायेगा तो हो गया ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं यही चाहता हूं कि इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाय ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-08 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : यह संकल्प पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री जी, आप उस समय परिषद् में थे तो हमने माननीय सदस्य से कहा था कि जब माननीय मंत्री जी आ जायेंगे तो जवाब दे देंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो 2 तरह की पेंशन प्रणाली की बात है नई और पुरानी । बिहार सरकार ने दोनों पेंशन प्रणालियों के सारे गुण-दोषों पर विचार करके, समीक्षा करके तुलनात्मक अध्ययन करके नई पेंशन योजना लागू की है और यह सुविचारित निर्णय है इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की अभी कोई न

सरकार की योजना है न सरकार आवश्यकता महसूस करती है । इसलिए माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि ये इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–19 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव पढ़ें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव पढ़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आर0ओ0बी0 बनाने के लिए केन्द्र सरकार को भेजने पर हमलोग विचार कर रहे हैं । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार की सहमति हो गई है भारत सरकार को भेजने के लिए, इसलिए आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज बाबू, सदन की समाप्ति के बाद आप हमारे सचिवालय में सम्पर्क बना लीजिएगा । अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

टर्न–14/यानपति/14.07.2023

समापन भाषण

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का नवम सत्र दिनांक 10 जुलाई 2023 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 14 जुलाई, 2023 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल पांच बैठकें हुईं ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 10 जुलाई, 2023 को बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित 01 विधेयक एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 04 विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को

सदन में उपस्थापित किया गया । कुल-04 जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक-13 जुलाई, 2023 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं राज्य के वित्त लेखे से संबंधित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ । उसी दिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुईं । तत्पश्चात् संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक-14 अप्रैल, 2023 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के हरित बजट पुस्तिका की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी । इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
2. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023

सत्र के दौरान कुल-823 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें 704 प्रश्न स्वीकृत हुए । इन स्वीकृत 704 प्रश्नों में कुल-35 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 34 के उत्तर प्राप्त हुए, कुल 570 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 526 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 99 प्रश्न अतारांकित हुए ।

इस सत्र में कुल 99 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 88 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 03 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल 155 निवेदन प्राप्त हुए जिसमें 141 स्वीकृत हुए एवं 14 अस्वीकृत हुए । कुल 145 याचिकाएं प्राप्त हुईं जिनमें 133 स्वीकृत हुए एवं 12 अस्वीकृत हुए । इस सत्र में कुल 91 गैर सरकारी संकल्प की सूचना प्राप्त हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन,

नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय उप मुख्यमंत्रीजी, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं । प्रतिपक्ष को तो इतना धन्यवाद दिया जाय कि वे उठाना चाहें तो उठा नहीं पाएं उतना धन्यवाद ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन एवं निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब बिहार राज्य गीत होगा, कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(बिहार राज्य गीत)

अध्यक्ष: अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।